न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 259/2013

प्रार्थी

1. जीवणराम पुत्र पोकरराम
जाति–जाट, निवासी–डिगरना
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नाथूसिंह पुत्र अमानसिंह
2. सुरेश पुत्र मांगीलाल
3. हुलासी पत्नि मांगीलाल
जातियान–बावरी,
4. भेराराम पुत्र जेठाराम
5. जोगाराम पुत्र जेठाराम
6. रूपाराम पुत्र जेठाराम
7. माणकचन्द पुत्र रावतराम
8. हेमाराम पुत्र हुक्माराम
9. गजराई पत्नि हुक्माराम
जातियान–कुम्हार
10. नाथूराम पुत्र केवल
11. दिनेश पुत्र केवल
12. मैना बेवा केवल
जातियान–सरगरा
13. शिवराम पुत्र जगमाल
जाति–कुम्हार
14. रूपनाथ पुत्र भीकनाथ
जाति–नाथ
15. शंकरसिंह पुत्र वनेसिंह
16. सुखसिंह पुत्र वनेसिंह
जातियान–दरोगा
17. लालमोहम्मद पुत्र करीम
18. सुभानखां पुत्र करीम
19. गनीमोहम्मद पुत्र करीम
20. निजामुदीन पुत्र करीम
21. हाजरी पत्नि करीम
22. पताई पुत्री करीम
23. गजराई पुत्री करीम
24. घीसाराम पुत्र रसूल
जातियान–लौहार मुसलमान
25. जेतूनी पत्नि लालू
26. अकबरअली पुत्र लालू
27. हुसैनखां पुत्र लालू
28. राजूखां पुत्र लालू
29. साबूदीन पुत्र आसू
30. शैरूखा पुत्र आसू

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

31. रफीक पुत्र आसू
32. रईसा पुत्री आसू
33. मुमतजा पुत्री आसू
जातियान–तैली मुसलमान
निवासीगण–बिरोल
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.27/09/2013**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 05/10/2017**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–बिरोल, पटवार हल्का–बिरोल, तहसील–जैतारण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 371 रकबा 60–18 बीघा, खसरा नम्बर 368 रकबा 21–15 बीघा, खसरा नम्बर 368/5 रकबा 22–10 बीघा, खसरा नम्बर 368/4 रकबा 15–00 बीघा, खसरा नम्बर 386/3 रकबा 9–05 बीघा, खसरा नम्बर 368/2 रकबा 10–00 बीघा, खसरा नम्बर 368/1 रकबा 1–04 बीघा की आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी के पास ही पूर्वी दिशा में एक रेकर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 380 स्थित हैं। उक्त रास्ते का उपयोग आसपास के सभी खातेदार काश्तकार करते आ रहे हैं। नकल जमाबन्दीयां प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की हैं। खसरा नम्बर 371 प्रार्थी की आराजी हैं। जिसमें प्रार्थी 1/4 हिस्से का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। इसके साथ खसरा नम्बर 371 में अप्रार्थी संख्या 17 से लगायत 33 प्रार्थी के सहखातेदार हैं तथा उक्त आराजी का वर्तमान में कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा हैं। इसलिए अप्रार्थी संख्या 17 से लगायत 33 को पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 371 में जाने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं हैं तथा खसरा नम्बर 380 वर्तमान में रेकर्डेड रास्ता हैं। खसरा नम्बर 371 व खसरा नम्बर 380 के बीच में खसरा नम्बर 368, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5 व खसरा नम्बर 379 हैं। जिनमें से होकर के प्रार्थी की आराजी में जाने का रास्ता कायम किया जाना प्रस्तावित हैं। इस बाबत् प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत हैं। जिसमें लाल स्याही से दर्शाये गये मार्क ए बी सी डी प्रार्थी की आराजी में जाने का प्रस्तावित रास्ता हैं। वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 368 की तरमीम नहीं हो रखी हैं। जबकि वर्तमान जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बर का बंटवाड़ा हो रखा हैं तथा मौके पर भी पक्षकारान् ने जमाबन्दी के अनुसार बंटवाड़ा कर रखा हैं। इसलिए अप्रार्थी संख्या 02 से 16 सभी को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 371 में प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान् एवं नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता का विकल्प नहीं हैं। प्रार्थी को अपनी आराजी में ट्रेक्टर, हल, बैलगाडी ल जाने, खेत की खडाई करने, खाद बीज डालने, उक्त जगह को उपजाऊ बनाने, पशुओं को ले जाने व चरानें, फसल काटने, मजदूरों को ले जाने आदि अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। क्योंकि बीच में पड़ने वाले खसरा नम्बरान् के काश्तकारान् आये दिन रास्ता रोक कर दखलन्दाजी करने से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थी को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं तथा वर्तमान में प्रस्तावित रास्ता जहां से कदीमी रास्ता चल रहा हैं। इसके अलावा प्रार्थी की आराजी में जाने का कोई रास्ता नहीं हैं। इसलिए प्रार्थी की आराजी में जाने का 20 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकर्ड में कायम किया जाकर मौके पर भी उसकी नेखमबन्दी करवायी जाकर रास्ते को दर्शाया जावें। इस बाबत् प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र रास्ता कायम करने का विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया हैं। प्रार्थी ने दिनांक 28/07/2013 को अप्रार्थीगण को इस कदीमी रास्ते को 20 फिट चौड़ा करने का कहा, तो अप्रार्थीगण ने ईन्कार कर दिया एवं ऐलानिया धमकी दी कि इस रास्ते को पूर्णतया बन्द कर देगें। यदि अप्रार्थीगण नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बन्द कर देते हैं, तो प्रार्थी को अपनी आराजी में जाने का कोई रास्ता नहीं हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें में दर्शाये गये लाल रंग के रास्ते को प्रार्थी की आराजी में जाने का रास्ता घोषित किया जावें। प्रार्थी को रास्ते को इजमेन्ट ऑफ नेसर्सीटी हैं। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता कायम करवाने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के अनुसार अन्दर म्याद एवं आवश्यक न्याय शुल्क प्रस्तुत कर पेश किया जा रहा हैं, जो श्रीमान् के श्रवणा एवं क्षैत्राधिकार में हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 1, 3 से 15 व 17 से 33 को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में तहसीलदार, जैतारण द्वारा उनके पत्रांक/भू.अ./2017/469 दिनांक 03/07/2017 को रास्ते की वर्तमान स्थिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। जिसमें ग्राम-बिरोल के खसरा नम्बर 371 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 368, 379 में से होकर रास्ता चाहा हैं। उक्त सम्बन्ध में मौके के अनुसार खसरा नम्बर 371 में जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं हैं। वादीगण ने खसरा नम्बर 380 में से होकर खसरा नम्बर 368, 379 में से 371 में जाने आने का रास्ता चाहा हैं। खसर नम्बर 380 राजस्व रेकर्ड अनुसार रास्ता हैं, जो कि मौके पर कदीमी रास्ता चालू हैं। उक्त रास्ता 686.4 फिट X 20 फीट का रास्ता प्रस्तावित हैं, जो कि खसरा नम्बर 379 में से 0-08 बीघा एवं खसरा नम्बर 368 में से 0-09 बीघा कुल रकबा 0-17 बीघा भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित हैं। मौके पर वर्तमान में प्रस्तावित रास्ता बन्द हैं। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकर्ड के अनुसार मौजूद नहीं हैं। प्रस्तावित भूमि आबादी भूमि एवं सड़क से दूर हैं। उक्त भूमि की किस्म सिंचित हैं, जिसकी डी.एल.सी. अधिकतम दर 57510/- रू0 हैं।

कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए ही धारा 2015 काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251 क का संशोधन किया गया हैं जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार -

" (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता हैं, तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविध के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे "

उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जांच पश्चात् वैकल्पिक मार्ग नही होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किये गये प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञान किया जा सकेगा।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थी के खेत में खड़ाई बुवाई हेतु आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं हैं। तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया हैं कि खसरा नम्बर 379 में से 0–08 बीघा एवं खसरा नम्बर 368 में से 0–09 बीघा कुल रकबा 0–17 बीघा में से रास्ता कायम किया जाकर खसरा नम्बर 371 में प्रार्थी आ–जा सकते हैं। प्रार्थी को खसरा नम्बर 379 में से 0–08 बीघा एवं खसरा नम्बर 368 में से 0–09 बीघा कुल रकबा 0–17 बीघा में रास्ता निकालने पर तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट अनुसार 686.4 X 20 फीट का रकबा 0–17 बीघा खसरा नम्बर 379 व 368 में से लिया जाकर रास्ता कायम किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 379 में से 0–08 बीघा एवं खसरा नम्बर 368 में से 0–09 बीघा कुल रकबा 0–17 बीघा में से 686.4 X 20 फीट रकबा 0–17 बीघा का सार्वजनिक रास्ता कायम किया जाना उचित रहेगा। उक्त खसरा नम्बर 379 व 368 की वर्तमान डी.एल.सी. रेट प्रति0 57510/– रू0 प्रति बीघा हैं। बाजार मूल्य के मद्देनजर उक्त कृषि भूमि आबादी से दूर होने से अधिकतम डीएलसी रेट की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए 97767/– रू0 प्रार्थी से वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को दिलाया जाना अर्थात् प्रार्थी से उक्त रकम वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को भुगतान करें एवं खसरा नम्बर 379 व 368 में सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाने एवं उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा–बिरोल, पटवार हल्का–बिरोल, तहसील–जैतारण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 371 रकबा 60–18 बीघा में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 379 में से 0–08 बीघा एवं खसरा नम्बर 368 में से 0–09 बीघा कुल रकबा 0–17 बीघा में से 686.4 X 20 फीट रकबा 0–17 बीघा का रास्ता कायम करने की अधिकतम डीएलसी रेट प्रति बीघा 57510/– रू0 हैं। बाजार मूल्य व आबादी से दूर होने के मद्देनजर अधिकतम डीएलसी रेट की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए 97767/– रू0 प्रार्थी से वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को दिलाया जाना अर्थात् प्रार्थी से उक्त रकम वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को भुगतान करें एवं खसरा नम्बर 379 व 368 में सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाई जावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 05/10/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)